<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/एलआर/1794/2005/नागौर</u>

भूरा पुत्र नगाराम जाति रावत निवासी ग्राम देवगढ तहसील डेगाना जिला नागौर

अपीलार्थी

बनाम

1 सायरी पत्नी माधुराम
2 छोटू पुत्र नाथाराम
3 केसा पुत्र कमजी
4 लालीदेवी बेवा कमजी
5 राजूडी पत्नी भूराराम
6 छोटूराम पुत्र नगाराम समस्त जाति रावत निवासीगण देवगढ
7 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, डेगाना

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री घनश्यामसिंह लखावत वकील अपीलार्थी
श्री नरपत भाकल वकील प्रत्यर्थी संख्या 1
श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत उप राजकीय अभिभाषक।

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः.03.12.19</u>

यह द्वितीय अपील धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 40/2004 में पारित निर्णय दिनांक 31.3.05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नियमन सलाहकार समिति ने दिनांक 12.6.84 को भूरा अपीलार्थी एवं छोटू प्रत्यर्थी संख्या 6 के पक्ष में ग्राम देवगढ की आराजी खसरा नम्बर 45 की 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि का नियमन किया। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1से 4 ने राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1975 के नियम 14(4) के अन्तर्गत एक प्रार्थनापत्र जिला

कलक्टर, नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने कार्यवाही प्रार्थीगण वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया जिससे जिला कलक्टर, नागौर ने अप्रार्थीगण वर्तमान प्रार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 6 के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनकर निर्णय दिनांक 31.8.2004 से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नियमन आदेश दिनांक 12.6.84 निरस्त कर दिया। इसके विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31.3. 2005 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि आवंटन सलाहकार समिति ने सभी तथ्यों की जांच कर विवादित भूमि का नियमन अपीलार्थी एवं छोटू प्रत्यर्थी संख्या 6 के पक्ष में किया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने सभी तथ्यों को देखे बिना ही मात्र नियमन निरस्त करने की नियत से कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है। एक हेक्टर से अधिक भूमि का आवंटन एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता परन्तु वर्तमान प्रकरण में नियमन दो व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है जिससे डीपीएपी क्षेत्र में होने पर भी नियमन को विधि विरूद्व नहीं ठहराया जा सकता। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 6 ने किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है। आवंटी आवंटन द्वारा नियमन के पात्र थे। शामलाती खाते की भूमि में स्पष्ट रूप से आवंटियों का हिस्सा कम है जिसे खण्डित नहीं किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्व में पत्रावली गलत आधार पर लौटाई गई थी क्योंकि एक हेक्टर से अधिक भूमि के आवंटन का बिन्दु एक व्यक्ति पर लागू होता है वर्तमान प्रकरण में नियमन दो व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है जिससे प्रत्येक के पक्ष में एक हेक्टर से कम भूमि का नियमन हुआ है। छोटू प्रत्यर्थी संख्या 6 के नोशनल शेयर के बाबत आदेश में कांट छांट किया जाना निर्णय का आधार बताया गया है परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि छोटू नियमन का पात्र नहीं हो। स्पष्ट रूप से अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 नियमन की पात्रता रखते हैं एवं सभी तथ्येां के जांच कर नियमन किया गया है।

सरकारी कर्मचारियेां द्वारा लिखने में असावधानी होने से उनके द्वारा की गई काट छांट या ओवर राईटिंग को प्रार्थी द्वारा की जाना नहीं माना जा सकता। कांट छांट व ओवर राईटिंग में भी तथ्य स्पष्ट रूप से पूर्व व पश्चात प्रकट होते हैं जो किसी भी प्रकार की अपात्रता प्रकट नहीं करते हैं। इनमें भी नियमन की पात्रता मानकर नियमन की सिफारिश की गई है। जिला कलक्टर ने अपने आदेश में कब्जा नहीं होना गलत लिखा है। जब उपलबध खसरा परिवर्तनशील का लिखा है तो यह अंकन करते कि कौन से सम्वत के हैं तथा उपलब्ध जमाबन्दी का अवलोकन उपरांत हमारा

नोशनल शेयर से कितना रकबा बनता है, यह अंकित नहीं किया है। जबकि इसका अंकन जरूरी है। हम पात्र थे। इस कारण रकबे का अंकन नहीं है। परिवादी की शिकायत पर नियम 14(4) का मामला दर्ज हुआ, बाद में उसने नो इन्सट्रक्शन प्लीड हुआ, उसका भी कथन यह था कि अशंतः उन्हें नियमन/आवंटन होना चाहिए था, अंशतः हमें। पात्रता को प्रश्नगत नहीं किया था। खातेदारी मिलने के बाद इस तरह से कयास के आधार पर आवंटन को निरस्त करना उचित नहीं है। आवंटन कमेटी ने आवंटन आदेश स्वंय में भूरा, छोटू अंकित किया है तथा ऊपर भूरा, छोटू पिता नगा अंकित है। भूरा लाखा का पौत्र है तथा छोटु भूरा का पौत्र है। दोनों अलग व्यक्ति है। शिकायतकर्ता ने मामले को रंगत देने हेतु छोटु पुत्र नगा पौत्र लाखा को अनावश्यक रंगत देने हेतु पक्षकार अंकित किया है। बाद में परिवादी झूठी शिकायत से नो इन्सट्रक्शन प्लीड कर गए। ऐसे आधारों व कथनों पर आवंटन निरस्त उचित नहीं है। बरवक्त आवंटन व बरवक्त नामान्तरकरण व खातेदारी जांच होकर सही होने पर आवंटन उसका अमल व खातेदारी हुई है। जो अब ऐसे क्षणिक आपसी मनमुटाव की शिकायत पर निराधार रूप से 20 वर्ष बाद निरस्त करना उचित नहीं है। अपील स्वीकार की जावे। नियमन के 20 वर्ष पश्चात नियमन निरस्त कराने की कार्यवाही की गई है जो अत्यधिक विलम्ब से की गई है। 20 वर्ष से अधिक लम्बी अवधि के बाद नियमन निरस्त किया जाना न्याय का प्रहसन (उपहास) (ट्रवेस्टी आफ जस्टिस) है। ऐसे अनेक मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आवंटन/नियमन आदेश बहाल रखे हैं। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में आर.आर.डी. 1999 पेज 128, ए.आई.आर. 1994 एस.सी. 1128, आर.बी.जे. 1995 पेज 780 एवं आर.आर.डी. 2000 पेज 94 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की बहस का सहमति व्यक्त करते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि नियमन विधि विरूद्ध किया गया है। नागौर जिला डीपीएपी क्षेत्र में आता है जहां एक हेक्टर से अधिक भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 6 का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। नियमन गलत आधारों पर किया गया है। आदेश में काटं छांट है। छोटू ने विवादित भूमि पर स्वंय का कब्जा काश्त नहीं होना दावे में प्रस्तुत शपथपत्र में स्वीकार किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सभी तथ्यों को देखकर समवर्ती निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अतः यह अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

नियमन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नियमन भूरा, छोटू पुत्र नगा के पक्ष में खसरा नम्बर 45 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा का किया गया है। नियमन आदेश में पटवारी हल्का की रिपोर्ट आदि से स्पष्ट है कि दोनों का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नियमन योग्य रहा है।

अब जहां तक तहसीलदार द्वारा अपनी फर्द अहकाम दिनांक 17.5.83 एवं पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 12.6.84, जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार के हस्ताक्षर है तथा अंकित है कि रिपोर्ट पटवारी का मिलान सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड से किया, इन्द्राज सही हैं। उक्त फर्द अहकाम दिनांक 17.5.83 एवं दिनांक 12.6.84 (जो आवंटन आदेश के उपर अंकित है) इसमें कांट छांट तथा ओवर हैंड राईटिंग के बिन्दु का प्रश्न है, यह काट छांट व ओवर हैंड राईटिंग रकबे के संदर्भ में है। किन्तु इन दोनों में समान रूप से नियमन की अपात्रता का अंकन नहीं है और इस काट छांट या ओवर हैंडराईटिंग को प्रार्थी द्वारा किया जाना अथवा प्रार्थी द्वारा तथ्य छुपाने के रूप में नहीं लिया जा सकता है। यह कर्मचारियों द्वारा हुई ओवर हैंडराईटिंग व कांट छांट है। किन्तु इसमें नियमन योग्य नहीं होने या अपात्र होने का अंकन नहीं है। इन दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां जिला कलक्टर की पत्रावली में उपलब्ध है। कलक्टर ने अपने आदेश में उपलब्ध खसरा परिवर्तनशीलों अनुसार कब्जा नहीं होना अंकित किया है किन्तु यह अंकित नहीं किया है कि किन वर्षो के खसरा परिवर्तशीलों में कब्जा नहीं है तथा यह भी अंकित किया है कि छोटुराम का कितना हिस्सा बनता है, इसको सही विश्लेषित नहीं किया है। किन्तु शामलाती में कितना हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज है, इसका अंकन कलक्टर के आदेश में नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध जमाबन्दी का अंकन है। जमाबन्दी कलक्टर की पत्रावली में सलंग्न नहीं है तथा उसमें अंकित शामिल अंश अथवा उस अंश के आधार पर बनने वाले नोशनल शेयर का अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे अमूर्त व स्थूल विवेचन के आधार पर जहां अपात्रता पूर्व भू धारण के आधार पर स्पष्ट नहीं की गई हो, खातेदारी मिलने के बाद आवंटन के 20 वर्ष बाद आवंटन निरस्त करना उचित नहीं है। जिन्होंने आवंटन नियम 14(4) का आवेदन प्रस्तुत किया था, उन्होंने नो इन्सट्रक्शन प्लीड किया। ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा तथ्य छुपाने का बिन्दु प्रमाणित नहीं होता है तथा कलक्टर द्वारा भी आवंटियों के नोशनल शेयर का रकबे के साथ सही व स्पष्ट खुलासा नहीं करने से आवंटन आदेश निरस्त किया जाना उचित नहीं है।

नियमन निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) में अन्य किसी तथ्य को नहीं उठाया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने भी अपने निर्णय में तथ्यों को छुपाकर अथवा धोखे से आवंटन कराये जाने का उल्लेख नहीं किया है। आवंटन निरस्ती का मुख्य आधार नागौर जिला डीपीएपी क्षेत्र में आने से एक व्यक्ति को एक हेक्टर से अधिक भूमि का आवंटन नहीं किया जाना बनाया गया है। परन्तु नियमन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह नियमन दो व्यक्तियों भूरा व छोटू के पक्ष में किया गया है तथा कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा है जिससे प्रत्येक आवंटी के पक्ष में एक हेक्टर से कम रकबा आता है। ऐसी स्थिति में इस आधार पर नियमन निरस्त किया जाना न्योचित नहीं ठहराया जा सकता।

इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि विवादित नियमन आदेश दिनांक 12.6.84 का है जिसके विरूद्ध निरस्ती की कार्यवाही वर्ष 2001 में लगभग 17 वर्ष पश्चात की गई है। इतनी लम्बी अवधि बाद नियमन निरस्त किया जाना न्याय का उपहास (ट्रवेस्टी आफ जस्टिस) होगा। निर्णयज विधि में ऐसे अनेक मामलों में सिद्धान्त प्रतिपादित कर 15 वर्ष से अधिक लम्बी अवधि के बाद आवंटन/नियमन आदेश निरस्त किया जाना न्यायेाचित नहीं माना है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के पक्ष में किये गये नियमन आदेश को अब निरस्त किया जाना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। जिससे हम यह अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय दिनांक 31.3. 2005 तथा कलक्टर, नागौर का निर्णय दिनांक 31.8.2004 निरस्त किये जाते हैं एवं आवंटन सलाहकार समिति का नियमन आदेश दिनांक 12.6.84 यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य